संख्या. 92/2021/2495 ई-2/ तेरह-2021-1583708

प्रेषक,

**उमेश कुमार तिवारी,**

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त,**

उ.प्र. प्रयागराज।

**आबकारी अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांकः 29, दिसम्बर, 2021**

**विषय-** श्री हिमांशु कुमार धानुक पार्टनर खास फूड एण्ड सर्विसेज (अण्डर द नेम ऑफ ब्लैक ब्रु हाउस रेस्टोरेन्ट) 15वॉ तल यूनिट नं.ए.1505 से 1508 रोहतास समिट, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-88/दो-प्र.एम.बी. (12) /लघु यवासवनी, दिनांक 16.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस संबंध में आपके पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हिमांशु कुमार धानुक पार्टनर खास फूड एण्ड सर्विसेज (अण्डर द नेम ऑफ ब्लैक ब्रु हाउस रेस्टोरेन्ट), 15 वॉ तल यूनिट नं-1505 से 1508 रोहतास समिटए विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को 160 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 56,000 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने के लिए माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवां संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियमों एवं शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चवरिंग प्रेक्टिसस (जी.एम.पी. ) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बियर उत्पादन का कार्य किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(उमेश कुमार तिवारी)**

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।